उत्तराखण्ड सरकार

वित्त विभाग

षष्ठम् राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड

(पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय)

(वर्ष 2026– 2031)

के

प्रतिवेदन

में की गई

संस्तुतियों पर राज्य सरकार

का

कार्यवाही– ज्ञापन

उत्तराखण्ड सरकार

वित्त विभाग

विषयः— **छठवां राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं एवं नगरीय स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का स्पष्टीकारक ज्ञापन।**

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन के अनुच्छेद 243 (झ) तथा 243 (म) एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा—158 (क) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधन के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु श्री एन.रवि. शंकर (से.नि. मुख्य सचिव) की अध्यक्षता में दिनांकः 27 जनवरी, 2025 को छठवां राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड का गठन किया गया। आयोग को संदर्भित किये गये निदेश पद के अनुक्रम में आयोग द्वारा दिनांकः 01.04.2026 से 31 मार्च, 2031 (अवार्ड अवधि 2026—27 से 2030—2031) तक पांच वर्षों की अवधि में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के शुद्ध कर राजस्व से अंतरण की जाने वाली धनराशि तथा वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्थाओं के संबंध में अपनी संस्तुतियों का प्रतिवेदन/ रिपोर्ट श्री राज्यपाल महोदय को दिनांकः 31 मार्च, 2026 को प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुतियों को निम्नवत् कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया हैः—

संस्तुति संख्या	आयोग की संस्तुतियॉ	राज्य सरकार का निर्णय
(1) वित्तीय हस्तांतरण संबंधी संस्तुतियॉ :—		
1—	अनुशंसा अवधि के प्रथम वर्ष अर्थात 2026—27 में राज्य सरकार के स्वयं के सकल कर राजस्व का कम से कम 12.50 प्रतिशत राज्य की स्थानीय स्वशासन इकाइयों (पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों) को हस्तांतरित/वितरित किया जाए। चूँकि शहरी स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को अपनी संस्थागत क्षमता विकसित करने तथा राज्य सरकार को इन निकायों को पर्याप्त एवं यथेष्ट कार्य/दायित्व हस्तांतरित करने में कम से कम एक वर्ष का समय लगेगा, इसलिए आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि इसके बाद (अर्थात प्रथम वर्ष के पश्चात) वित्तीय अंतरण/वितरण का यह अंश क्रमिक रूप से प्रतिवर्ष बढ़ा कर वित्तीय वर्ष 2027—28 में 13 प्रतिशत किया जाए तथा इसके बाद प्रत्येक वर्ष इसमें 1 प्रतिशत की	राज्य को प्राप्त स्वयं के निज कर राजस्व का 12.50 प्रतिशत अन्तरण स्थानीय निकायों हेतु निर्धारित किया जायेगा। 11वीं/12वीं अनुसूची में उल्लिखित विषय/कार्यो के हस्तांतरण के अतिरिक्त सुधार आधारित गतिविधियॉ (Reform-Linked Activities) यथा राजस्व वृद्धि, क्षमता विकास, पारदर्शिता इत्यादि करने पर निज कर राजस्व अन्तरण में आयोग की संस्तुति के अनुसार समय—समय

वृद्धि करते हुए आयोग की संस्तुति अवधि के अंतिम वर्ष अर्थात 2030–31 में इसे 16 प्रतिशत किया जाए।

(अध्याय 19, प्रस्तर 19.10)

पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। शहरी स्थानीय निकायों एवं जिला पंचायतों को अंतरण निम्न अनुपालन के अधीन किया जायेगा :–

1– प्रथम वर्ष 2026–27:–

राज्य के स्वयं के निज कर राजस्व का पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को 12.50 प्रतिशत अंतरण किया जायेगा। शहरी स्थानीय निकायों तथा जिला पंचायतों को प्रथमतः 11.50 प्रतिशत अंतरण किया जाएगा और अतिरिक्त 1.00 प्रतिशत का अंतरण इस शर्त के अधीन प्रदान किया जायेगा कि स्थानीय निकाय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वयं के स्रोतों से आय (Own Source Revenue (OSR)) में वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राप्त स्वयं के स्रोतों से आय (OSR) की तुलना में कम से कम 1.05 गुना की वृद्धि प्राप्त करेंगे।

अवार्ड अवधि में आयोग के संक्रमण सूत्र से यदि किसी निकाय को वर्ष 2025–26 में संक्रमित धनराशि से कम धनराशि संक्रमित होती है, तो उस निकाय को पंचम राज्य वित आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान के अनुसार वर्ष 2025–26 के बराबर संक्रमण दिया जायेगा।

2–वर्ष 2027–28 एवं उसके बाद अवार्ड अवधि में (2030–31 तक)

शहरी स्थानीय निकाय एवं केवल जिला पंचायतों को 11.50 प्रतिशत तथा क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों को 12.50 प्रतिशत संक्रमण निम्नवत किया जायेगाः–

अनिवार्य शर्त

(1) वर्ष टी–1 के अनंतिम खातों तथा वर्ष टी–2 के लेखापरीक्षित खातों को सार्वजनिक रूप से आनॅलाइन उपलब्ध कराने का अनुपालन करने पर अंतरण किया जायेगा।

(2) वर्ष टी–1 के अनंतिम खाते वर्ष टी के तृतीय त्रैमास से पूर्व प्राप्त होने पर ही वर्ष टी की त्रैमासिक किश्त अंतरित की जायेगी।

(3) वर्ष टी–2 में संक्रमित धनराशि के सापेक्ष पूर्ण धनराशि (100 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने होंगे।

(4) अतिरिक्त 1 प्रतिशत का अंतरण शहरी स्थानीय निकाय एवं केवल जिला पंचायतों को निम्न शर्तो का अनुपालन पूर्ण करने पर किया जायेगाः–

(क) कोई स्थानीय निकाय (शहरी एवं केवल जिला पंचायत) वर्ष टी के लिये तभी पात्र होगा, जब उसका वर्ष टी–1 में स्वयं के स्रोतों से आय (OSR), वर्ष टी–2 के स्वयं के स्रोतों से आय (OSR) का कम–से–कम 1.05 गुना या वर्ष टी–2 के स्वयं के स्रोतों से आय पर 5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि, अथवा इन दोनों में जो भी पूर्ण हो।

उदाहरण:

1. वर्ष टी (2027–28) में, वर्ष टी–2 (2025–26) के **लेखापरीक्षित** खातों को सार्वजनिक रूप से ऑनलाईन उपलब्ध कराना होगा।

		2. वर्ष टी–1 (2026–27) के **अनंतिम** लेखा खाते वर्ष टी (2027–28) के तृतीय त्रैमास के प्रारम्भ से पूर्व उपलब्ध कराये जाने होंगे। 3. वर्ष टी (2027–28) में, वर्ष टी–1 (2026–27) में स्वयं के स्रोतों से आय (OSR), वर्ष टी–2 (2025–26) के स्वयं के स्रोतों से आय (OSR) का कम–से–कम 1.05 गुना या वर्ष टी–2 (2025–26) के स्वयं के स्रोतों से आय पर 5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि, अथवा इन दोनों में जो भी पूर्ण कर लिया गया हो। 4. वर्ष टी (2027–28) में, वर्ष टी–2 (2025–26) में संक्रमित धनराशि के सापेक्ष 100 प्रतिशत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने होगें।
2–	किसी भी वित्तीय वर्ष में स्थानीय स्वशासन इकाइयों को किया जाने वाला वित्तीय अंतरण/वितरण उसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार की कुल कर राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष वर्ष वार संस्तुत अनुपात में किया जाए, न कि उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की कुल कर राजस्व प्राप्तियों के आधार पर। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.16)**	सिफारिश स्वीकार की गई। महालेखाकार से राज्य के स्वयं के निज कर राजस्व के आंकड़ें प्राप्त होने पर संक्रमण धनराशि का यथा समय समायोजन किया जायेगा।
3–	आयोग पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के बीच ऊर्ध्वाधर वित्तीय वितरण का अनुपात 60:40 बनाए रखने की संस्तुति करता है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.26)**	सिफारिश स्वीकार की गई।
4–	आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों के मध्य वित्तीय अंतरण के लिये निम्नलिखित सिद्धान्तों को अपनाया हैः– **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.28)**	

(क) शहरी स्थानीय निकाय:–

(1) जनसंख्या:– जनसंख्या को 76.50 प्रतिशत का भारांक दिया गया है। नगर पालिका परिषदों के लिए न्यूनतम जनसंख्या 10,000, नगर पंचायतों के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5,000 निर्धारित की गई है।

(2) क्षेत्रफल:– क्षेत्रफल को 13.50 प्रतिशत का भारांक दिया गया है। नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के लिए वित्तीय हस्तांतरण के उद्देश्य से न्यूनतम 10 वर्ग किलोमीटर तथा अधिकतम 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का मानदंड निर्धारित किया है।

(3) दूरस्थता:–दूरस्थता को 4 प्रतिशत भारांक दिया गया है।

(4) अस्थायी/चलायमान जनसंख्या:–अस्थायी/चलायमान जनसंख्या हेतु कुछ चिन्हित शहरी स्थानीय निकायों को 2 प्रतिशत भारांक आधारित राशि में से वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाय।

(5) कर प्रयास:– वित्तीय हस्तांतरण/वितरण में कर प्रयास को कुल 4 प्रतिशत भारांक दिया गया है।

(6) शहरी स्थानीय निकायों का अंश निर्धारित करने हेतु आयोग द्वारा लिये गये मापदंड एवं भारांश का विवरण निम्नवत है:–

(भरांक % में)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	आबादी	क्षेत्रफल	दूरस्थता	कर प्रयास	अस्थायी (फ्लोटिंग) जनसंख्या	योग
1	नगर निगमें	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100.00
2	नगर पालिका परिषदें	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100.00
3	नगर पंचायतें	76.50	13.50	4.00	4.00	2.00	100.00

कर प्रयास के अन्तर्गत वित्तीय हस्तांतरण/ वितरण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उक्त शर्ते तकनीकी प्रकृति की हैं। उक्त शर्तो की पूर्ति हेतु वर्तमान में मूल्यांकन व्यवस्था एवं रिपोर्टिंग रूपरेखा (Framework) की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण कर यथा समय कार्यवाही किये जाने तक कर प्रयास को दिये गये भारांक के आधार पर पूर्ण धनराशि अंतरित की जायेगी। उक्तानुसार आंशिक संशोधन के साथ सिफारिश स्वीकार की गई।

(ख) पंचायतीराज संस्थाऐं:–

(1) जनसंख्या :– जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों के लिए 76 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है, जबकि ग्राम पंचायतों के लिए यह 70.60 प्रतिशत होगा। ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानदंड 200 निर्धारित किया जाएगा।

(2) क्षेत्रफल:– क्षेत्रफल के लिए 14 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 200 हेक्टेयर तथा अधिकतम क्षेत्रफल 600 हेक्टेयर का मानदंड रखा जाएगा।

(3) पर्यावरणीय बाधाएँ/अवसर लागत–ग्राम पंचायतों के कुल अंश में से 9.40 प्रतिशत (पंचायती राज संस्थाओं के कुल अंश का 4.37 प्रतिशत) भाग केवल पूर्णतः पर्वतीय विकासखंडों की ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाएगा।

(4) दूरस्थता– दूरस्थता के आधार पर जिला पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के लिए 6 प्रतिशत का भारांक निर्धारित किया गया है, जबकि क्षेत्र पंचायतों के लिए 10 प्रतिशत का भारांक नियत किया गया है।

(5) कर प्रयास– जिला पंचायतों को वित्तीय हस्तांतरण/वितरण हेतु कर प्रयास को कुल 4 प्रतिशत भारांक दिया गया है।

(6) पंचायतीराज संस्थाओं का अंश निर्धारित करने हेतु आयोग द्वारा लिये गये मापदंड एवं भारांश का विवरण निम्नवत हैः–

(भरांक % में)

क्र. सं.	पंचायतीराज संस्था का नाम	आबादी	क्षेत्रफल	दूरस्थता	कर प्रयास	पर्यावरणीय बाधाएँ/ अवसर लागत	योग
1	जिला पंचायतें	76.00	14.00	6.00	4.00	-	100.00
2	क्षेत्र पंचायतें	76.00	14.00	10.00	-	-	100.00
3	ग्राम पंचायतें	70.60	14.00	6.00	-	9.40	100.00

आयोग के प्रतिवेदन में ग्राम पंचायतों के लिए न्यूनतम जनसंख्या मानदंड 200 अंकित है जबकि संक्रमण सूत्र में न्यूनतम जनसंख्या 500 लिया गया है। अतः संक्रमण सूत्र के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिये न्यूनतम जनसंख्या 500 लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त कर प्रयास के अन्तर्गत वित्तीय हस्तांतरण/ वितरण हेतु आयोग द्वारा निर्धारित उक्त शर्ते तकनीकी प्रकृति की हैं। उक्त शर्तो की पूर्ति हेतु वर्तमान में मूल्यांकन व्यवस्था एवं रिपोर्टिंग रूपरेखा (Framework) की अनुपलब्धता के कारण परीक्षण कर यथा समय कार्यवाही किये जाने तक कर प्रयास को दिये गये भारांक के आधार पर पूर्ण धनराशि अंतरित की जायेगी। उक्तानुसार आंशिक संशोधन के साथ संस्तुति स्वीकार की गई।

5–	शहरी स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत राशि को नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायतों के मध्य क्रमशः 24, 27.6 और 8.4 प्रतिशत के अनुपात में वितरित किया जाएगा (अर्थात सभी स्थानीय निकायों के लिए कुल हस्तांतरण राशि में से शहरी स्थानीय निकायों का कुल 60 प्रतिशत हिस्सा)। इस प्रकार उनके मध्य यह वितरण क्रमशः नगर निगमों के लिए 40 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों के लिए 46 प्रतिशत तथा नगर पंचायतों के लिए 14 प्रतिशत होगा। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.29 (2))**	उक्त सिफारिशें स्वीकार की गई।
6–	पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित 40 प्रतिशत राशि के अंतर्गत, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर अर्थात जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत का हिस्सा क्रमशः 14, 7.40 और 18.16 के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा। इन स्तरों के भीतर क्षैतिज वितरण ऊपर प्रस्तर 19.28 तथा उससे संबंधित सारणी में उल्लिखित कारकों एवं उनके भारांक प्रतिशतों के अनुसार किया जाएगा। इस प्रकार उनके मध्य यह वितरण क्रमशः जिला पंचायतों के लिए 35 प्रतिशत, क्षेत्र पंचायतों के लिए 18.50 प्रतिशत तथा ग्राम पंचायतों के लिए 46.50 प्रतिशत होगा। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.29 (4))**	आयोग के प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत का अंश 18.16 प्रतिशत अंकित है, जबकि संक्रमण सूत्र/ तालिका में ग्राम पंचायतों का अंश 18.60 प्रतिशत के अनुसार गणना की गई है। अतः संक्रमण सूत्र के आधार पर ग्राम पंचायतों के लिये आंशिक संशोधन (18.60 प्रतिशत) के साथ संस्तुति स्वीकार की गई।
7–	आयोग संस्तुति करता है कि राज्य सरकार से स्थानीय स्वशासन इकाइयों को भी चरणबद्ध रूप से विभिन्न चार त्रैमासिक किश्तों में वित्तीय वितरण किये जाने पर विचार किया जाय। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.34)**	उक्त सिफारिशें स्वीकार की गई।

2–सहायता अनुदानः–

1.	तीन गैर निर्वाचित/ अनिर्वाचित निकायों के लिये प्रतिवर्ष रू0 8.00 करोड़ की सहायता अनुदान राशि निम्नवत संस्तुत की गई हैः– 1–बद्रीनाथ नगर पंचायत रू0 3.00 करोड़ प्रतिवर्ष 2–केदारनाथ नगर पंचायत रू0 2.75 करोड़ प्रतिवर्ष 3–गंगोत्री नगर पंचायत रू0 2.25 करोड़ प्रतिवर्ष **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.33/19.36)**	आयोग की अवार्ड अवधि के प्रथम वर्ष पूर्ण सहायता अनुदान अवमुक्त किया जायेगा। वर्ष 2027–28 में अनुदान प्राप्त करने हेतु वर्ष 2026–27 में अवमुक्त धनराशि का 50 प्रतिशत व आगे के वर्षो (2030–31 तक) में अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्ष (टी–1) में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत तथा पिछले से पिछले वर्ष (टी – 2) के सापेक्ष अवमुक्त 100

		प्रतिशत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने होंगे। उक्तानुसार सिफारिश स्वीकार की गई।
2.	संपत्ति/ भवन कर में दी गई छूट के कारण होने वाली राजस्व हानि की राशि, संबंधित शहरी स्थानीय निकायों से सत्यापित और प्रमाणित विवरण प्राप्त करने के बाद, छूट की अवधि तक वार्षिक आधार पर प्रभावित शहरी स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में प्रतिपूर्तित की जाए। इस प्रकार, अनुशंसा अवधि के लिए यह राशि कुल मिलाकर ₹126 करोड़ होगी। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.37)**	नव गठित, उच्चीकृत तथा मौजूदा निकाय जिनका, सीमा विस्तार किया गया है और उनमें सम्मिलित/ समाहित पूर्ववत ग्रामीण क्षेत्रों को संपत्ति/ भवन कर से 10 वर्षो के लिये सामान्य छूट दी गई है। उक्त निकायों हेतु संस्तुत अनुदान का उपयोग केवल पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु किया जायेगा। उक्तानुसार सिफारिश स्वीकार की गई।
3.	राज्य नगरीय विकास संस्थान (SIUD) के लिए 5 वर्षों हेतु ₹1.5 करोड़ की दर से वार्षिक सहायता अनुदान की संस्तुति की गई है। अवार्ड अवधि हेतु कुल रू0 7.50 करोड अनुदान की संस्तुति की गई है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.38)**	आयोग की अवार्ड अवधि के प्रथम वर्ष कार्ययोजना उपलब्ध कराने पर सहायता अनुदान की पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जायेगी। वर्ष 2027–28 में अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्ष (टी–1) में अवमुक्त धनराशि का 50 प्रतिशत व आगे के वर्षो (2030–31 तक) में अनुदान प्राप्त करने हेतु पिछले वर्ष (टी–1) में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत तथा पिछले से पिछले वर्ष (टी–2) के सापेक्ष अवमुक्त 100 प्रतिशत धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराने होंगे। उक्तानुसार सिफारिश स्वीकार की गई।

4.	वेतन, पेंशन अंशदान, विद्युत देयक, जल देयक, पेंशन/सेवानिवृत्ति लाभ, समूह जीवन बीमा तथा भवन किराया से संबंधित संचित लंबित देनदारियों के सत्यापित एवं प्रमाणित (आवश्यक होने पर लेखा परीक्षित) आंकड़े प्राप्त करने के बाद, और केवल उन्हीं देनदारियों को ध्यान में रखते हुए जिन्हें संबंधित शहरी स्थानीय निकायों / जिला पंचायतों द्वारा भुगतान नहीं किया गया अथवा नहीं किया जा सका, की वास्तविक लंबित राशि को वित्तीय वर्ष 2026–27 में सहायता अनुदान के रूप में उन्हें अवमुक्त किया जाए। इस अनुदान की कुल राशि ₹132 करोड़ से अधिक होना सम्भावित नहीं है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.39)**	केवल पेंशन / सेवानिवृत्ति लाभ, समूह जीवन बीमा संबंधी सेवानिवृत्तिक अवशेष देयता का भुगतान अद्यतन लेखापरीक्षित खातों के आधार पर देय सत्यापन के बाद दिनांकः 31.03.2026 तक की अवशेष देयता का भुगतान किया जायेगा। उक्तानुसार सिफारिश स्वीकार की गई।
5.	हल्द्वानी–काठगोदाम नगर निगम द्वारा काठगोदाम में संचालित दो इंटर कॉलेज के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 में ₹314.29 लाख (रू0 3.15 करोड़) की राशि सहायता अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाए। यह राशि दो वर्षों की अवधि (2026–27 से 2027–28) में सहायता अनुदान के रूप में इस शर्त के साथ जारी की जा सकती है कि निर्माण कार्यों तथा उपकरणों की स्वीकृति विद्यालयी शिक्षा विभाग के विभागीय मानकों तथा वित्तीय नियमों के अनुसार प्रदान की जाएगी। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.41)**	उक्त सिफारिश का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
6.	नगर निगम हल्द्वानी के भवन विस्तार हेतु रू0 5.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.42, 2 का 2)**	उक्त सिफारिश का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
7.	नगर पालिका परिषद पुरोला के पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं उपकरणों के क्रय के लिए रू0 30.00 लाख एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.42, 2 का 1(10))**	उक्त सिफारिश का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
8.	नगर पालिका परिषद बागेश्वर के नुमाइशखेत, मिनी स्टेडियम के निर्माण तथा सौंदर्यीकरण आदि हेतु रू0 5.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.42, 5 का 1 (1))**	खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान होने के दृष्टिगत अस्वीकार की गई।
9.	नगर निगम, रुड़की के जल निकास कार्य के लिए रू0 5.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.42, 7 का 3(1))**	उक्त सिफारिश का यथा समय परीक्षण किया जायेगा।

10.	शहरी स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए 233 कचरा डंपर ट्रकों की खरीद हेतु रू0 80.00 करोड़ तथा भराव स्थल और अपशिष्ट निपटान हेतु रू0 100.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान की संस्तुति करता है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.43)**	संस्तुत अनुदान का उपयोग कचरा डंपर ट्रकों की खरीद, भराव स्थल और अपशिष्ट निपटान के साथ–साथ ठोस अपशिष्ट के निस्तारण पर भी किया जायेगा। उक्तनुसार सिफारिश स्वीकार की गई।
11.	शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के लिए 21 विद्युत शवदाह गृहों हेतु रू0 7.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.44)**	उक्त सिफारिश का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
12.	जिला पंचायतों के निवर्तन पर 95 शव वाहनों हेतु रू0 6.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.45)**	उक्त सिफारिश का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
13.	11 पर्वतीय जिला पंचायतों के लिए 55 स्कूल वैन हेतु रू0 11.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.46)**	कलस्टर/ उत्कृष्ठ विधालयों के लिए विभागान्तर्गत बजट प्रावधान होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
14.	जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के लिए 100 मेडिकल एंबुलेंस हेतु रू0 15.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.47)**	चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
15.	25 गौशालाओं हेतु रू0 25.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.49)**	पशुपालन विभाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
16.	नगर निगमों और 42 नगर पालिका परिषदों के लिए 55 पशु शरणालयों हेतु रू0 5.50 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.50)**	शहरी विकास विभाग एवं पशुपालन विभाग के अन्तर्गत बजट प्रावधान होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
17.	जिला पंचायतों के लिए 13 वृद्धाश्रमों हेतु रू0 65.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.51)**	समाज कल्याण विभागान्तर्गत बजट व्यवस्था होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।

18.	नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों के लिए 15 रैन बसेरों हेतु रू0 15 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.52)**	आवास विभाग के अन्तर्गत बजटीय व्यवस्था होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
19.	देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और रुद्रपुर नगर निगमों में 4 कामकाजी महिला छात्रावासों हेतु रू0 20 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.53)**	महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत बजटीय प्रावधान होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
20.	सभी शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में सार्वजनिक उपयोगिताओं की मैपिंग हेतु ITDA को रू0 50.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.54)**	सिफारिश स्वीकार की गई। क्रियान्वयन संस्था का निर्धारण प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।
21.	नगर निकायों एवं पंचायतों के लिए प्रशिक्षण, क्षमता विकास एवं और पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु रू0 50.00 करोड़ एकमुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.55)**	उक्त सिफारिश स्वीकार की गई।
22.	जिला पंचायतों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं रसोइयों हेतु रू0 20.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.56)**	ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत बजटीय व्यवस्था है तथापि उक्त सिफारिश का परीक्षण किया जायेगा।
23.	विरासत स्थलों के रखरखाव और विकास हेतु जिला पंचायतों के लिए रू0 13.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.57)**	संस्कृति विभागान्तर्गत बजटीय व्यवस्था होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
24.	10 पर्वतीय जिला पंचायतों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु रू0 30.00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.58)**	संबंधित विभागों के अन्तर्गत बजटीय व्यवस्था होने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।
25..	पर्वतीय ग्राम पंचायतों के लिए आपदा आपातकालीन निधि हेतु रू0 55. 00 करोड़ एक मुश्त सहायता अनुदान। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.59)**	16वें वित्त आयोग द्वारा आपदा राहत निधि एवं आपदा न्यूनीकरण निधि हेतु अवार्ड अवधि में कुल रू0 5504.00 करोड़ की धनराशि संस्तुत किये जाने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।

26.	आयोग राज्य में उत्तराखण्ड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् द्वारा किये जाने वाले नगरीय और क्षेत्रीय नियोजन के लिए ₹50 करोड़ की संस्तुति करता है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.60)**	उक्त सिफारिश का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
27.	नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर जनपदों में (रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, टनकपुर, हल्द्वानी और मुरादाबाद को लेते हुए) एवं जनपद देहरादून व हरिद्वार में (देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की और सहारनपुर को लेते हुए) क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS-Regional Rapid Transit System) के पूर्व–संभाव्यता अध्ययन के लिए आयोग ₹50 करोड़ की संस्तुति करता है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.61)**	उक्त सिफारिशों का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।
28.	आयोग तीन वैश्विक क्षमता केन्द्रों (GCCs- Global Capability Centers) की स्थापना के लिए ₹150 करोड़ की संस्तुति करता है। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.62)**	निजी संस्थाओं द्वारा स्थापित किये जाने के दृष्टिगत उक्त सिफारिश अस्वीकार की गई।

3– <u>अन्य संस्तुतियॉं</u>:–

1.	पूर्ववर्ती आयोग ने यह अनुशंसा की थी कि शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कुल वार्षिक वित्तीय हस्तांतरण का 2% राज्य स्तर पर स्थापित किए जाने वाले एक कोष में स्थानांतरित किया जाए, ताकि केंद्रीयत सेवा संवर्ग के लिए नियमित पेंशन भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। हमें बताया गया है कि इस अनुशंसा पर कार्यवाही की जा चुकी है। हम पुनः यह दोहराते हैं कि इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखा जाना चाहिए। **(अध्याय 19, प्रस्तर 19.66)**	शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले कुल वार्षिक वित्तीय हस्तांतरण का 1% पूर्व की भांति राज्य स्तर पर स्थापित कोष में स्थानांतरित किया जायेगा। उक्तानुसार आंशिक संशोधन के साथ सिफारिश स्वीकार की गई।
2.	नीतिगत प्रकरण/ प्रशासनिक सुधार/ सुझाव के संबंध में आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 19 में विभिन्न संस्तुतियॉं की गई हैं।	उक्त सिफारिशों का यथा–समय परीक्षण किया जायेगा।

देहरादूनः दिनांकः 27 अक्टूबर, 2026

वित्त मंत्री/ मुख्यमंत्री